प्रेषक, **ईमेल द्वारा**

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय, अनुदानित एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1360 /संप्रपप/ई0–2(प्रशा0)/2021, दिनांक : 27 अक्टूबर, 2021

विषय : **काउन्सिलिंग के विशेष दसवें चरण के सम्बन्ध में सूचना।**

महोदय,

उपयुक्त विषय पर यह अवगत कराना है कि सत्र 2021–22 में प्रवेश के लिए आनलाइन काउन्सिलिंग के नौ चरण दिनांक 25.10.2021 को पूर्ण हो चुके हैं। संस्था में प्रवेश के लिए आवंटित अभ्यर्थियों में से कतिपय ने प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त अब तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करायी है, जिससे संस्थाओं की कुछ सीटें रिक्त रह जाने की सम्भावना है। साथ ही साथ कतिपय पाठ्यक्रमों में लेटरल इन्ट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश हेतु नये पाठ्यक्रमों को समाहित किया गया है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत रिक्त सीटों को भरे जाने के लिए परिषद द्वारा आनलाइन काउन्सिलिंग का एक विशेष दसवां चरण आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस चरण हेतु विस्तृत समय–सारिणी एवं प्रक्रिया निम्नवत् है :–

| Sl. No. | Particulars | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| 1 | **Marking of Non-Reported candidates by RCADMIN** | **28.10.2021** | **28.10.2021** |
| 2 | Submission of Affidavit and Admission fee refund Cheque / Draft for deselected candidates by Institute | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 3 | **New Registration for candidates not appeared in UPJEE-2021 and payment of registration fee** | **30.10.2021** | **31.10.2021** |
| 4 | **Registration, counseling fee submission, Choice filling and Locking** | **01.11.2021** | **01.11.2021** |
| 5 | **Seat Allocation Result** | **02.11.2021** | **02.11.2021** |
| 6 | **Document Verification at allotted Institute** | **03.11.2021** | **03.11.2021 Upto 5:00PM** |
| 7 | **Deposition of Admission Fee through candidate login** | **03.11.2021** | **03.11.2021** |

काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रियाएं उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न करायी जायेंगी।

## दसवें चरण की विशेष काउसिलिंग के निर्देश

1. दसवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग में प्रथमतः संस्थाएं अपने RCADMIN लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करेंगी। प्रदर्शित डैशबोर्ड में लिंक Participating Institute Module में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों को मार्क करने के लिए सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अभ्यर्थी का रोल नम्बर प्रविष्ट कर दर्शाये गये विवरण की जांचोपरान्त उन्हें अप्रवेशित अंकित किया जा सकेगा। इस प्रकार संस्थाएं अब तक प्रवेश के लिए संस्था में न आने वाले छात्र/छात्राओं को आवंटित सीटों को रिक्त घोषित करेंगे।
2. अप्रवेशित अंकित किये गये छात्र/छात्राओं की सूची के साथ परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये नोटराईज्ड शपथ–पत्र पर वांछित सूचनाएं भरकर निर्धारित समय एवं तिथि तक उपलब्ध करायेंगे।
3. प्रपत्र एवं नोटराईज्ड शपथ–पत्र (प्रति संलग्न) के साथ इन रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा जमा किया गया सम्पूर्ण Seat Acceptance Fee एवं प्रवेश शुल्क सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के नामे डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक के साथ परिषद कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मूल रूप में प्राप्त कराना होगा।

4. उक्त प्रक्रिया/अभिलेख समयान्तर्गत प्राप्त न होने की दशा में संस्था द्वारा रिक्त की गई सीटों को भरा माना जायेगा तथा इस पर पुनर्विचार सम्भव न हो सकेगा। संस्थाएं छात्र/छात्राओं की सूची प्रवेशित/अप्रवेशित मार्क करने के उपरान्त सूची का भली–भाँति मिलान करते हुए संस्था अभिलेखों से सत्यापित कर लें। इस प्रक्रिया में त्रुटियों का निवारण सम्भव न हो सकेगा।
5. परिषद द्वारा अनचेक किये हुए छात्र/छात्राओं से सम्पर्क कर प्रवेश निरस्तीकरण की पुष्टि किये जाने के उपरान्त संस्था द्वारा रिक्त की गई सीटों को अन्तिम रूप दिया जायेगा। यदि उपरोक्त में से कोई भी छात्र/छात्रा प्रवेश निरस्तीकरण की सहमति नहीं प्रदान करता/करती है तो ऐसी सीटें रिक्त नहीं मानी जायेंगी एवं संस्था द्वारा भ्रामक सूचना प्रेषित करने के लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
6. दसवें चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपने आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे।
7. दसवें चरण में अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरूद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ये अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे।
8. राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2021 में सम्मिलित हुए हैं।
9. दसवें चरण के आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
10. दसवें चरण की काउसिलिंग के प्रवेश के लिये सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में रजिस्ट्रेशन कर आनलाइन रू0 250 जमा किया जायेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके है उन्हें दुबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नही है।
11. काउसिलिंग का परिणाम निधारित तिथियों में जारी किया जायेगा तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना होगा।
12. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सम्पूर्ण शुल्क जमा करेगें। निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल रू0 3000/–अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निधारित तिथि तथा समय तक जमा करेगें। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर समस्त प्रवेश प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए जमा करेगें।
13. आनलाइन काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रियायें समयबद्ध रूप से संचालित होंगी। अतः निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रक्रिया पूर्ण न करने की दशा में अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

( राम रतन )
प्रभारी सचिव

**<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा/निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

( राम रतन )
प्रभारी सचिव